MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) (MPS)

Term-End Examination December, 2024

MPSE-003: WESTERN POLITICAL THOUGHT (From Plato to Marx)

Most Important TOPICS in Hindi and English both

PART-3

Scholarly Minds

J.S. Mill's View on Individual Liberty

John Stuart Mill, a prominent philosopher of the 19th century, is widely known for his work **"On Liberty"** (1859), in which he argues for the protection of individual freedom against societal or governmental interference. Mill's views on individual liberty are rooted in the belief that a person should have the freedom to act according to their own will, as long as their actions do not harm others. This is often referred to as the **harm principle**.

जॉन स्टुअर्ट मिल, 19वीं सदी के प्रमुख दार्शनिक, अपनी कृति **"ऑन लिबर्टी"** (1859) के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने समाज या सरकार के हस्तक्षेप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात की। मिल के दृष्टिकोण में यह विश्वास है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते उनके कार्यों से दूसरों को नुकसान न हो। इसे **हानि सिद्धांत** (Harm Principle) कहा जाता है।

According to Mill, individuals should be free to make their own choices, whether they are related to personal lifestyle, beliefs, or actions. He emphasizes that **self-regarding actions** (those that affect only the individual) should not be interfered with by the state or society. For instance, people should have the liberty to express their opinions, practice any religion, or pursue their personal desires, as long as these do not cause harm to others.

मिल के अनुसार, व्यक्तियों को अपनी जीवनशैली, विश्वासों या कार्यों से संबंधित अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे यह बताते हैं कि **स्वयं-रोज़गार क्रियाएँ** (जो केवल व्यक्ति को प्रभावित करती हैं) पर राज्य या समाज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोगों को अपनी राय व्यक्त करने, किसी भी धर्म का पालन करने या अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते इनसे दूसरों को नुकसान न हो।

Mill, however, acknowledges that there are situations where the government or society can intervene. If an individual's actions harm others, society has the right to restrict those actions. This is where the harm principle comes into play: **"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others."** For example, one person's freedom of speech should not allow them to incite violence or hate.

हालाँकि, मिल यह स्वीकार करते हैं कि कुछ स्थितियों में सरकार या समाज हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कार्य दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो समाज को उन कार्यों को सीमित करने का अधिकार है। यही हानि सिद्धांत का पालन है: **"किसी सभ्य समुदाय के सदस्य पर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए किया जा सकता है।"** उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति उन्हें हिंसा या नफरत भड़काने का अधिकार नहीं देती।

Mill also stresses the importance of **social progress**. He believes that the liberty to express different views, even if controversial, is essential for intellectual and societal advancement. Suppressing individual liberty for the sake of social conformity hinders progress. Therefore, he advocates for a society that allows a wide range of ideas, beliefs, and behaviors to flourish, as long as they do not directly harm others.

मिल यह भी बताते हैं कि **सामाजिक प्रगति** के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, भले ही वे विवादास्पद हों। सामाजिक अनुकूलता के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाना प्रगति को रोकता है। इसलिए, वे एक ऐसे समाज का समर्थन करते हैं जो विचारों, विश्वासों और व्यवहारों की विस्तृत विविधता को पनपने की अनुमति देता है, बशर्ते ये सीधे तौर पर दूसरों को नुकसान न पहुँचाते हों।

In conclusion, John Stuart Mill's concept of individual liberty is based on the idea of personal freedom, limited only by the harm one's actions might cause to others. His theory emphasizes **freedom of speech**, **freedom of expression**, and **freedom of choice** as essential components of a free society, contributing to the overall well-being and progress of individuals and society.

अंत में, जॉन स्टुअर्ट मिल का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है, जो केवल तब सीमित होता है जब किसी के कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुँच सकता है। उनका सिद्धांत **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, **स्वतंत्रता का अधिकार** और **चुनाव की स्वतंत्रता** को एक मुक्त समाज के महत्वपूर्ण घटक मानता है, जो व्यक्तियों और समाज की समग्र भलाई और प्रगति में योगदान करता है।

Scholarly Minds

Burke's View on Citizenship and Democracy

Edmund Burke, an 18th-century philosopher and political thinker, is known for his conservative views on citizenship and democracy. In his seminal work **"Reflections on the Revolution in France"** (1790), Burke critiques the French Revolution and advocates for a more cautious and gradual approach to political and social change. He argues that citizenship and democracy should not be based solely on abstract principles or ideals but should be grounded in the traditions, customs, and established institutions of society.

एडमंड बर्क, 18वीं सदी के दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक, नागरिकता और लोकतंत्र पर अपने संरक्षणवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी महत्वपूर्ण कृति **"फ्रांस में क्रांति पर चिंतन"** (1790) में,

बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अधिक सावधानीपूर्ण और क्रमिक दृष्टिकोण की वकालत की। वे तर्क करते हैं कि नागरिकता और लोकतंत्र केवल अमूर्त सिद्धांतों या आदर्शों पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि समाज की परंपराओं, रीति-रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर आधारित होने चाहिए।

Burke believed that democracy should not be based on the will of the majority alone. He argued that in a democracy, the rights of individuals and minorities should be protected, and that representative government should involve elected officials who have the wisdom and experience to make decisions for the common good. For Burke, democracy was not just about universal suffrage but about **practical governance** that took into account the long-term stability and well-being of society.

बर्क का मानना था कि लोकतंत्र केवल बहुमत की इच्छा पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क किया कि लोकतंत्र में, व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, और प्रतिनिधि सरकार में ऐसे चुने हुए अधिकारी होने चाहिए जिनमें सामान्य भलाई के लिए निर्णय लेने की बुद्धि और अनुभव हो। बर्क के लिए, लोकतंत्र केवल सार्वभौमिक मतदान का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह **व्यावहारिक शासन** था जो समाज की दीर्घकालिक स्थिरता और भलाई को ध्यान में रखता था।

He also emphasized the importance of **tradition and continuity** in maintaining a stable and functioning democracy. Burke believed that democratic systems should evolve over time, respecting historical experiences and the wisdom embedded in social structures. In his view, abrupt political changes, such as those seen in revolutionary movements, could lead to chaos and the collapse of order. Therefore, Burke argued that a true democracy must be rooted in historical continuity and respect for institutions, rather than radical or sudden upheavals.

उन्होंने स्थिर और कार्यशील लोकतंत्र बनाए रखने में **परंपरा और निरंतरता** के महत्व पर भी जोर दिया। बर्क का मानना था कि लोकतांत्रिक प्रणालियों को समय के साथ विकसित होना चाहिए, ऐतिहासिक अनुभवों और सामाजिक संरचनाओं में निहित ज्ञान का सम्मान करते हुए। उनके दृष्टिकोण में, क्रांतिकारी आंदोलनों में देखे गए अचानक राजनीतिक परिवर्तन अराजकता और व्यवस्था के पतन का कारण बन सकते थे। इसलिए, बर्क ने तर्क किया कि एक सच्चा लोकतंत्र ऐतिहासिक निरंतरता और संस्थाओं का सम्मान करके होना चाहिए, न कि कट्टरपंथी या अचानक बदलावों के कारण।

In conclusion, Burke's views on citizenship and democracy emphasize a **conservative approach**, focusing on gradual change, the protection of established institutions, and the importance of tradition. He believed that democracy should be practical, balanced, and rooted in the historical context of society, rather than based on abstract principles or radical reforms.

अंत में, बर्क के नागरिकता और लोकतंत्र पर दृष्टिकोण में **संविधानात्मक दृष्टिकोण** पर जोर दिया गया है, जो क्रमिक परिवर्तन, स्थापित संस्थाओं की रक्षा और परंपरा के महत्व पर केंद्रित है। उनका मानना था कि लोकतंत्र व्यावहारिक, संतुलित और समाज के ऐतिहासिक संदर्भ में निहित होना चाहिए, न कि अमूर्त सिद्धांतों या क्रांतिकारी सुधारों के आधार पर।

Jeremy Bentham's Views on Utilitarian Principles

Scholarly Minds

Jeremy Bentham, an influential philosopher and social reformer of the 18th and 19th centuries, is most famous for developing the theory of **utilitarianism**. His core idea was that the right action is the one that produces the greatest happiness for the greatest number of people. This principle, often referred to as the **"greatest happiness principle,"** forms the foundation of Bentham's philosophy. According to Bentham, all actions should be evaluated based on their consequences, and the aim should be to maximize happiness and minimize suffering for the largest number of individuals.

जेरमी बेंथम, 18वीं और 19वीं सदी के प्रभावशाली दार्शनिक और सामाजिक सुधारक, अपने **यूटिलिटेरियनवाद** के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मूल विचार था कि सही कार्य वह है जो सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत को आमतौर पर **"सबसे बड़ी खुशी का सिद्धांत"** कहा जाता है और यह बेंथम के दर्शन का आधार है। बेंथम के अनुसार, सभी कार्यों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, और उद्देश्य यह होना चाहिए कि अधिकतम खुशी और सबसे कम दुख उत्पन्न किया जाए।

Bentham argued that **pleasure and pain** are the fundamental measures of what is good or bad. He believed that all human actions are motivated by the desire to gain pleasure and avoid pain. In this way, utilitarianism evaluates the morality of an action based on its ability to increase happiness or reduce suffering. Bentham also introduced the **"felicific calculus"**, a method of measuring the amount of pleasure or pain an action will produce, taking into account factors like intensity, duration, certainty, and proximity.

बेंथम ने तर्क किया कि **सुख और दुख** अच्छे या बुरे के मूलमाप हैं। उनका मानना था कि सभी मानव क्रियाएँ सुख प्राप्त करने और दुख से बचने की इच्छा से प्रेरित होती हैं। इस प्रकार, यूटिलिटेरियनवाद एक क्रिया की नैतिकता का मूल्यांकन उसके द्वारा खुशी बढ़ाने या दुख घटाने की क्षमता के आधार पर करता है। बेंथम ने **"फेलिसिफिक कैलकुलस"** भी पेश किया, जो एक विधि है जिससे यह मापा जाता है कि कोई कार्य कितने सुख या दुख उत्पन्न करेगा, इसमें तीव्रता, अवधि, निश्चितता और निकटता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

For Bentham, **individual rights** were not absolute; they could be overridden if doing so would result in greater happiness for society. He believed that the welfare of the majority should always take precedence over individual interests. However, this also meant that Bentham supported reforms and policies that could increase the overall well-being of society, such as **social welfare programs, education, and legal reforms**.

बेंथम के लिए, **व्यक्तिगत अधिकार** निरपेक्ष नहीं थे; यदि ऐसा करने से समाज के लिए अधिक खुशी होती, तो उन्हें रद्द किया जा सकता था। उनका मानना था कि समाज की भलाई को हमेशा व्यक्तिगत हितों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह भी था कि बेंथम ऐसे सुधारों और नीतियों का समर्थन करते थे जो समाज की समग्र भलाई बढ़ा सकते थे, जैसे कि **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा, और कानूनी सुधार**।

In conclusion, Bentham's utilitarianism is a consequentialist theory that judges actions based on their outcomes. His philosophy emphasizes maximizing happiness and reducing suffering for the greatest number of people. Bentham's utilitarian principles have greatly influenced modern political and ethical thought, including areas like law, economics, and social policy.

Scholarly Minds

अंत में, बेंथम का यूटिलिटेरियनवाद एक परिणामात्मक सिद्धांत है जो कार्यों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर करता है। उनका दर्शन सबसे अधिक लोगों के लिए खुशी बढ़ाने और दुख घटाने पर बल देता है। बेंथम के यूटिलिटेरियन सिद्धांतों ने आधुनिक राजनीतिक और नैतिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसमें कानून, अर्थशास्त्र और सामाजिक नीति जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

Scholarly Minds